

उत्तराखण्ड सरकार



उत्तराखण्ड शासन

वृत्त का नाम :- सिविल वृत्त लो०नि०वि० ऊद्धप्रयाग

खण्ड का नाम :- प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० ऊद्धप्रयाग

वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

कार्य का बान

जिला योजना के अन्तर्गत मयाली—गुप्तकाशी यात्रा मार्ग के किमी० 13.50 में पुल से पाण्डवथली रा०आय० चिकित्सालय—रा०उ०मा०वि० पाण्डवथली—उछोना—माना मोटर मार्ग ल० 1.00 किमी० (वा० 0.600 किमी०) के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

क्षेत्रफल :-

वन पंचायत भूमि	-	0.0000 हेक्टेयर
सिविल सोयम वन भूमि	-	0.3500 हेक्टेयर
आरक्षित वन भूमि	-	0.0000 हेक्टेयर
नाप भूमि	-	0.0700 हेक्टेयर
कुल क्षेत्रफल	-	0.4200 हेक्टेयर
वांछित क्षेत्रफल	-	0.3500 हेक्टेयर

चैक लिस्ट

परियोजना का नाम:-

जिला योजना के अन्तर्गत मयाली-गुप्तकाशी यात्रा मार्ग के किमी 13.50 में पुल से पाण्डवथली रा०आय० चिकित्सालय-रा०उ०मा०वि० पाण्डवथली-उछोना-माना मोटर मार्ग ल० 1.00 किमी० (वा० 0.600 किमी०) के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

क्र.सं	प्रस्ताव का नाम	पेज न०	टिप्पणी
1. मुख्य सलंगनक			
1.1	सक्षक अधिकारी /आन-लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी/कर्मचारी का प्रमाण पत्र।	1	
1.2	सर्व ऑफ इण्डिया टोपेशीट मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण वन क्षेत्र को दर्शाया गया हो।	2	
1.3	मैप जिसमें टोपेशीट पर प्रस्तावित क्षेत्र को जी०पी०एस० के साथ दिखाया गया हो।	3	
1.4	गुगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा वैकल्पिक समरेखण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो।	4	
1.5	प्रस्तावित कार्य हेतु वनभूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आव्याह।	5	
1.6	जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त वन अधिकारी अधिनियम 2006 का प्रमाण-पत्र मय सलंगनकों के(नये प्रारूप में)	6	
1.7	प्रस्तावित परियोजना का 1:50,000 के पैमाने का मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थान को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	-	लागू नहीं
1.8	रंगीन गूगल मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	-	लागू नहीं
1.9	यदि प्रस्तावित कार्य हेतु गैर वनभूमि अथवा राजस्व वनभूमि की आवश्यकता हो तो भूमि धर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं भूमिधर होने का प्रमाण-पत्र।	7	
1.10	भूमिधर एवं प्रयोक्ता एजेन्सी के बीच हुए करार(पी०डी०एफ०)	8	
1.11	विस्तृत लागत-लाभ-विश्लेषण प्रमाण पत्र(यदि लागू हो)।	-	लागू नहीं
2. अतिरिक्त सलंगनक			
2.1	प्रस्ताव के बारे में विवरण एवं प्रस्ताव की औचित्य एवं आवश्यकता।	9	
2.2	परियोजना हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	10	
2.3	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट।(प्रयोक्ता एजेन्सी तथा वन विभाग एवं राजस्व विभाग के साथ)	11	
2.4	वैकल्पिक संरेखणों को मानचित्र पर प्रदर्शित कर उनके निरस्ता किये जाने का औचित्य एवं कारण।	12	
2.5	जिलाधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वनभूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र।	13	
2.6	प्रभावित वनभूमि का लैण्ड शैड्यूल(रिजर्व फारेस्ट में प्रभागीय वनाधिकारी तथा राजस्व भूमि में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित)	14	
2.7	परियोजना की लम्बाई, चौड़ाई तथा कुल क्षेत्र हेठो में। भूमि विभिन्न वर्ग वाद आरक्षित, निजी वन, वन पंचायत, निजी भूमि आदि।	15	
2.8	परियोजना का भूमि उपयोग का बार-चार्ट।(प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित)।	16	
2.9	क्षतिपूरक, वृक्षारोपण परियोजना सिविल भूमि पर(10 वर्ष दरें)।	-	लागू नहीं
2.10	क्षतिपूरक, वृक्षारोपण वनरथल उपर्युक्ता प्रमाण-पत्र(प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा)।	-	लागू नहीं
2.11	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण को बहन किये जाने का प्रमाण-पत्र(प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित)।	-	लागू नहीं
2.12	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्राकलन।	17	

2.13	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण की धनराशि वहन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	18
2.14	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त 100 वृक्षों के वृक्षारोपण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र(1 हेठो से कम में लागू)।	19
2.15	परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची एवं उनके वैज्ञानिक नाम(सूची आरिक्षित वनक्षेत्र, सिविल, वन पंचायत एवं निजी भूमि दोनों अलग-अलग बनायी जानी होगी।	20
2.16	बांज प्रजाति के वृक्षों के पातन हेतु वन संरक्षक की संस्तुति का प्रमाण पत्र।	21
2.17	अगर वृक्षों का पातन नहीं होना है तो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र।	22
2.18	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण पत्र।	23
2.19	परियोजना के निर्माण से उत्पादित मलवा निस्तारण की योजना(निर्धारित प्रारूप में)।	24
2.20	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण सम्बन्धी प्रमाण पत्र।	25
2.21	यदि प्रस्तावित परियोजना किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण के 10 किमी० की परिधि में आता है, तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	- -
2.22	यदि प्रस्तावित परियोजना किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण के अन्तर्गत आता है, तो ऐसे प्रकरणों में राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड, भारतीय वन्य जीव परिषद एवं मा० उच्चतम न्यायालय की अनुमति।	- -
2.23	वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र।	26
2.24	आम-सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	27
2.25	प्रस्तावित परियोजना का ले-आउट प्लान एवं प्राक्कलन तथा सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा मय नाम एवं पद के साथ।	28
2.26	अवयव के अनुसार निर्माणाधीन कार्यों का विवरण(यदि लागू हो तो)।	- -
2.27	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण पत्र।	26
2.28	भू-वैज्ञानिक की आव्याय।	29
2.29	टास्क-फोर्स रिपोर्ट।	30
2.30	मानक शर्तों का विवरण।	31
2.31	प्रस्तावक विभाग द्वारा मानक शर्तों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	31
2.32	टास्क-फोर्स एवं भू-वैज्ञानिक की शर्तों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण पत्र।	32
2.33	धार्मिक/पौराणिक/एतिहासिक महत्व का स्थल न होने का प्रमाण-पत्र।	33
2.34	वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुंचाये जाने का प्रमाण-पत्र।	34
2.35	परियोजना के निर्माण में प्रयुक्त मिट्टी का तेल एवं रसोई गैस का प्रमाण-पत्र।	35
2.36	लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र।	36
2.37	एन०पी०वी० की देयता का प्रमाण-पत्र।	37
2.38	मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि की देयता का प्रमाण-पत्र।	38
2.39	वनभूमि के लीज रेट का प्रमाण-पत्र।	- -
2.40	लीज अवधि का प्रमाण-पत्र।	39
2.41	आर०सी०सी० पिलरों के सीमांकन का प्रमाण-पत्र।	40
2.42	आर०सी०सी० पिलरों के व्यय को वहन करने हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा दिया गया।	40
2.43	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु गैर भूमि उपलब्ध न होने का मुख्य सचिव द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र(अगर लागू हो)	-
2.44	चैक लिस्ट/फैक्ट शीट।	41

- मूल्य पृष्ठ 42-

प्रतिवेदन

परियोजना का नाम :

जिला योजना के अन्तर्गत मयाली—गुप्तकाशी यात्रा मार्ग के किमी⁰ 13.50 में पुल से पाण्डवथली रा०आय० चिकित्सालय—रा०उ०मा०वि० पाण्डवथली—उछोना—माना मोटर मार्ग ल० 1.00 किमी⁰ (वा० 0.600 किमी⁰) के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव)

इस मार्ग के नव निर्माण की स्वीकृति जिला योजना (मुख्यमंत्री घोषणा) के अन्तर्गत जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग के पत्र संख्या 532/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या/लो०नि०वि०/2012-13 दिनांक 11.09.2012 द्वारा लम्बाई 1.00 किमी⁰ हेतु लागत रु० 12.60 लाख (प्रथम चरण) की प्राप्त है। छाया प्रति संलग्न है।

यह मार्ग पूर्व स्वीकृत मयाली—गुप्तकाशी मोटर मार्ग के किमी⁰ 13.50 से प्रारम्भ होकर राजकीय आर्युर्वेदिक चिकित्सालय एवं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पाण्डवथली को जोड़ेगा। मार्ग के प्रारम्भिक सर्वेक्षण के उपरान्त मार्ग की वास्तविक लम्बाई 0.600 किमी⁰ आती है। मार्ग के निर्माण हो जाने से ग्राम पंचायत नाग व धारकोट को अपने स्वास्थ्य उपचार व बच्चे के स्कूल हाने हेतु सुगम मार्ग उपलब्ध हो जायेगा। जिस हेतु यह वन भूमि प्रस्ताव गठित किया गया है। मार्ग के नव निर्माण में 0.00 है० वन पंचायत भूमि एवं 0.070 है० नाप भूमि, 0.3500 है० सिविल सोयम वन भूमि एवं 0.00 है० आरक्षित वन भूमि पड़ती है। मार्ग के नव निर्माण हो जाने से इस क्षेत्र में स्थित अति दूरस्थ गांवों/तोकों को भी यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सुविधाओं का लाभ मिलेगा तथा स्थानीय उत्पाद जैसे धान, गेहूं, केला, सब्जी, माल्टा आदि को बाजार तक लाने में सुविधा होगी।

अतः मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर लोक निर्माण विभाग विभाग को हस्तान्तरण हेतु प्रस्तुत है।

भूमि का प्रकार—

वन पंचायत भूमि	—	0.0000 हेक्टेयर
सिविल सोयम वन भूमि	—	0.3500 हेक्टेयर
आरक्षित वन भूमि	—	0.0000 हेक्टेयर
<u>नाप भूमि</u>	—	0.0700 हेक्टेयर
<u>कुल क्षेत्रफल</u>	—	0.4200 हेक्टेयर
 <u>वांछित क्षेत्रफल</u>	—	 0.3500 हेक्टेयर

उक्त प्रस्ताव के अन्य वांछित प्रमाण पत्र एवं प्रपत्र संलग्न किये गये हैं। अतः लोक निर्माण विभाग को 0.3500 है० वन भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

82
कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०

रुद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०

रुद्रप्रयाग

9
अधिकारी अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०

रुद्रप्रयाग